(76)

# न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रं. पी.बी.आर. 2016 निग. नि.अ – 3123 – PBR – 16

मुन्ना लाल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री हरीमोहन अग्रवाल पता–सेवड़ा जिला दतिया हाल निवास डॉ जी.एस.गुप्ता के सामने ज्वाहर कॉलोनी, कम्पू लश्कर ग्वालियर

—— प्रार्थी

बनाम

राकेश सिंह तोमर पुत्र बेताल सिंह तोमर निवासी नगरा पोरसा, जिला मुरैना हाल निवास– सी–18 गोविन्दपुरी, ठाठीपुर, मुरार

2) तहसीलदार महोदय श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाह तहसील ग्वालियर म0प्र0

——— प्रतिप्रर्थीगण

निगरानी प्रकरण क्रमांक 31 2015–16 अ 6 आदेश दिनांक 29.08.2016 अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व सहिंता

श्रीमान जी प्रार्थी कि निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, निगरानी के निराकरण हेतु प्रार्थी द्वारा सक्षिप्त में निम्न लिखित तथ्य निवेदन किये जा रहे है।
2. यहकि, प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.12.2004 को एक प्लॉट क्रमांक 33 स्थित ओहदपुर मोजा महलगॉव, नगर मुरार तहसील जिला ग्वालियर में नगर पालिका निगम वार्ड क्रं. 19 वर्तमान 29 पूर्व विकेता कैलाश नगर ग्रह निर्माण कॉलोनी, मुरार ग्वालियर जरिये अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार शर्मा से विकित स्व. गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री हरीमोहन अग्रवाल द्वारा कय किया गया रजिस्ट्रर्ड बेनामा 01.09.75 से कय किया गया स्व. गोविन्द प्रसाद अग्रवाल की पत्नी श्रीमती गायत्री देवी एव पुत्र प्रहलाददास अग्रवाल से कय किया 2400 वर्गफुट का प्लॉट जो कि [illegible] वर्तमान में 26 वां पर दर्ज है कय किया था [illegible]

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी 3123/पीबीआर/16

जिला ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 07-03-2019 | प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार के न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.03.2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।<br><br>(मनोज गोयल)<br>**अध्यक्ष** | |